



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 390 राँची, सोमवार, 1 आषाढ़, 1948 (श०)
22 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

10 सितम्बर, 2025

विषय:- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत राज्य अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में 50 आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना, संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति।

ज्ञापांक-07/म०स०/DAJGUA-यो०-210/2025-2804-- राज्य अन्तर्गत संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धातृ माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को विभिन्न प्रकार की आँगनबाड़ी सेवाएँ यथा- (i) पूरक पोषाहार (ii) प्रतिरक्षीकरण (iii) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (iv) सन्दर्भ सेवाएँ (v) पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं (vi) स्वास्थ्य जाँच की सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती है।

विभागीय संकल्पांक-949, दिनांक-02.07.2009, संकल्पांक-1238, दिनांक-07.06.2024 तथा संकल्पांक-1432, दिनांक-15.05.2025 के प्रावधानों के तहत राज्यान्तर्गत सम्प्रति 38,798 आँगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं जिनके माध्यम से उपर्युक्त सेवाएँ निर्बाध रूप से लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में से 91 आँगनबाड़ी केन्द्र विभागीय संकल्पांक-1238, दिनांक-07.06.2024 तथा 275 आँगनबाड़ी केन्द्र विभागीय संकल्पांक-1432, दिनांक-15.05.2025 के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत नवसृजित हैं।

2. उपर्युक्त केन्द्रों का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशांक-11/4/2021-CD-I (e-95706), दिनांक-01.08.2022 के अनुरूप तथा विभागीय संकल्पांक-2147, दिनांक-31.07.2023 के प्रावधानानुसार किया जा रहा है। इन मदों पर व्यय वहन केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60: 40 अनुपात में निर्धारित है।

3. विभागीय अधिसूचनांक-2239, दिनांक-30.09.2022 के माध्यम से झारखण्ड आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 गठित है। इसके प्रावधानों सहित समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के तहत आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं आँगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रदाय कार्य सुविधाओं में राज्य मद से अतिरिक्त मानदेय, इसमें वार्षिक वृद्धि तथा सामूहिक बीमा का भुगतान सम्मिलित हैं।

4. भारत सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) कार्यान्वित कराई जा रही है। एतद् के अभिसरण में मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 का संचालन कराने संबंधी मार्गनिर्देश निर्गत है। उक्त के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देशांक-18015/28/2022-PVTG, दिनांक-30.10.2024 एवं अनुक्रमण में निर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का दिशा-निर्देशांक-CD-I-11/2024-CPMU (e-119010), दिनांक-30.05.2025 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए निम्न निर्देश निर्गत हैं-

i. पूर्व के निर्गत आबादी मापदंड को संशोधित करते हुए -

क) 500 अथवा अधिक की जनसंख्या वाले अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों जिनमें न्यूनतम 50 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या हो अथवा ;

ख) अकांक्षी जिलों के ग्राम जहाँ न्यूनतम 50 की जनजातीय संख्या निवासित हो ;

-में एक आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किया जायेगा ;

ii. इन केन्द्रों का संचालन के लिए आवर्ती व्यय (स्थापना/प्रशासनिक/केन्द्र संचालन व्यय) केन्द्रांश एवं राज्यांश के वर्तमान अनुपात में किया जायेगा ;

iii. स्व-भवन निर्माण होने तक इन केन्द्रों का संचालन किराया के भवन में किया जायेगा;

iv. इन केन्द्रों के लिए भवन निर्माण रु०-12.00 लाख प्रति केन्द्र की दर पर कराये जायेंगे एवं इस पर आगत व्यय वहन शत-प्रतिशत (100%) केन्द्रांश राशि से किया जायेगा ;

v. DAJGUA के तहत इन केन्द्रों के लिए विमुक्त केन्द्रांश राशि SNA मापदंडों के अनुरूप व्यययित होगी एवं एतद् हेतु Separate SLS सृजित कराये जायेंगे ;

5. उपर्युक्त के आलोक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक-CD-I-11/2024-CPMU (e-119010), दिनांक-30.05.2025 के माध्यम से राज्य में 50 आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-680 (अनु०), दिनांक-12.06.2024 के माध्यम से निर्माण संबंधी कराये जाने वाले कार्यों की संक्षिप्त विवरणी सहित मानक प्राक्कलन (ड्रॉइंगसहित) प्रशासी विभाग द्वारा प्राप्त किया गया है, जिसमें रु०-11.663 लाख प्रति केन्द्र भवन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। एतद् प्राक्कलन में हॉल, लॉबी क्षेत्र, ए०एन०सी० कमरा, स्टोर रूम, रसोई, बरामदा, शौचालय, लीच पिट, रैंप, प्लेटफॉर्म इत्यादि संबंधी निर्माण/अधिष्ठापन प्राक्कलित है।

7. वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है-

- i. राज्य के अनुसूचित जनजाति बहुल विभिन्न पोषक क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-CD-I-11/2024-CPMU (e-119010), दिनांक-30.05.2025 के स्वीकृति अनुरूप कुल 50 आँगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- ii. इन आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रत्येक केन्द्र एक आँगनबाड़ी सेविका एवं एक आँगनबाड़ी सहायिका का चयन किया जायेगा। इन केन्द्रों में आँगनबाड़ी सेवाएँ वितरण का दायित्व इन कर्मियों द्वारा वहन किया जायेगा।

इन कर्मियों को चयन, मानदेय एवं अन्य सुविधाएँ झारखण्ड आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 एवं समय-समय पर यथा संशोधित राज्यादेशों के अनुरूप प्रदत्त होंगे।

- iii. इन केन्द्रों में भवन निर्माण होने तक इनका संचालन किराया के भवनों में प्रावधानित व्यय दर पर कराया जायेगा।
- iv. इन केन्द्रों का संचालन आँगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन संबंधी सम्प्रति प्रवृत्त राज्यादेशों के प्रावधानानुसार किया जायेगा। इन केन्द्रों के संचालन में DAJGUA तथा केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अभिसरण में कार्यान्वयन संबंधी निर्गत दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- v. इन केन्द्रों के संचालन पर विभिन्न मदों (केन्द्र भवन निर्माण छोड़कर) पर आगत व्यय वहन केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60:40 में किया जायेगा।
- vi. योजनान्तर्गत उपर्युक्त 50 आँगनबाड़ी केन्द्रों में केन्द्र भवन निर्माण ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-680 (अनु०), दिनांक-12.06.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये रू०-11.663 लाख प्रति केन्द्र भवन की तकनीकी प्रदत्त स्वीकृति के मानक प्राक्कलन (ड्राईगसहित) के आधार पर किया जायेगा। (प्रति संलग्न)

एतद् पर शत प्रतिशत व्यय वहन केन्द्रीय अंशदान से किया जायेगा।

8. इन केन्द्रों के स्थापना, संचालन, भवन निर्माण एवं तत् पर व्यय संबंधी कार्यवाई समयसमय पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जायेगा।

9. उपर्युक्त केन्द्रों के संचालन पर निम्नवत् व्यय संभावित है-

- क) प्रति वर्ष केन्द्रांश मद में रू०-26.755 लाख, राज्यांश मद में रू०-17.837 लाख एवं शतप्रतिशत राज्य मद में रू०-59.000 लाख अर्थात् कुल रू०-103.592 लाख का आवर्ती व्यय ;
- ख) प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि में केन्द्रांश मद में रू०-137.675 लाख, राज्यांश मद में रू०-91.785 लाख एवं शतप्रतिशत राज्य मद में रू०-295.000 लाख अर्थात् कुल रू०-524.460 लाख का व्यय (आवर्ती एवं अनावर्ती सहित) ;
- ग) आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण पर एकबारीय व्यय के रूप में शतप्रतिशत केन्द्रांश रू०-583.150 लाख का व्यय।

(राशि लाख रु० में)

क्र०	मद	केन्द्र प्रायोजित योजना मद से		राज्य योजना मद से (100%)	कुल
		केन्द्रांश	राज्यांश		
1-	प्रति वर्ष व्यय (आवर्ती व्यय) (60:40)	26.755	17.837	59.000	103.592
2-	प्रत्येक पाँच वर्ष में अनावर्ती व्यय (किट्स/उपस्कर/फर्नीचर पर व्यय) (60:40)	3.900	2.600	0.000	6.500
	प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि में कुल व्यय (Sl.1*5+ Sl.2)	137.675	91.785	295.00	524.460
3-	एक बारीय व्यय				
	भवन निर्माण पर (100: केन्द्रांश)	583.150	0.000	0.000	583.150

10. उपर्युक्त व्यय वहन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि की उपलब्धता एवं उक्त के विकलन हेतु बजटीय शीर्षसंबंधी विस्तृत विवरण परिशिष्ट I के रूप में संलग्न है। योजना कार्यान्वयन के तहत आगामी समय में आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त निधि का बजटीय प्रावधान किया जायेगा।

11. एतद् संबंधी पूर्व के राज्यादेश इस हद तक संशोधित होंगे। एतद् संबंधी प्रावधान इसके संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

12. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-02.09.2025 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-42 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव

परिशिष्ट-I

विकलनीय शीर्ष एवं उपबंधित निधियों की विवरणी

(राशि लाख रु० में)

क्र०	शीर्ष	राशि
1-	समेकित बाल विकास योजना (224 बाल विकास परियोजनाओं एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए)	केन्द्रांश 24164.40
	माँग सं०-60 के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के-	राज्यांश 16109.61
	(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष - 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष- 51/ समेकित बाल विकास योजना (224 बाल विकास परियोजनाओं एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए) ;	कुल 40274.01
	(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण, उपशीर्ष-51/ समेकित बाल विकास योजना (224 बाल विकास परियोजनाओं एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए)।	
2-	सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अभिसरण में डी०ए०जे०जी०यू०ए० के तहत् आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना	केन्द्रांश 0.00
	*(एतद् शीर्ष का गठन प्रक्रियाधीन है जिसमें केन्द्रीय अंशदान विमुक्ति अनुरूप आगामी अनुपूरक में बजटीय प्रावधान किया जायेगा)	राज्यांश 0.00
	माँग सं०-60 के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के-	कुल 0.00
	(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष- 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-92/ सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अभिसरण में डी०ए०जे०जी०यू०ए० के तहत् आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना ;	
3-	बीमा सुरक्षा योजना अन्तर्गत	केन्द्रांश 186.00
	माँग सं०-60 के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के-	राज्यांश 124.00
	(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष -	कुल 310.00

	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष- BJ/ बीमा सुरक्षा योजना; (ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-103-महिला कल्याण, उपशीर्ष-BJ/बीमा सुरक्षा योजना।	
4-	आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन योजना माँग सं०-60 के राज्य मद के- (क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष - 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-BK/आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन योजना ; (ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण, उपशीर्ष- BK/आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन योजना ;	<u>राज्य मद</u> रु० 52856.53 लाख
